



Neutral Citation No. - 2026:AHC:20064

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - A संख्या - 882, 2026

कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड B / सहायक उप निरीक्षक नीरज कुमार

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता:अरविंद कुमार तिवारी

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता:मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार,

1. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री ए.के. तिवारी और राज्य की ओर से विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री पी.के. श्रीवास्तव को सुना गया।
2. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, प्राप्त निदेशों के अनुसार, यह निवेदन करते हैं कि दिनांक 14.06.2025 के स्थानांतरण आदेश के आधार पर, रिट याचिकाकर्ता का स्थानांतरण अमरोहा से जौनपुर कर दिया गया था; रिट याचिकाकर्ता ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है, किंतु वह अमरोहा वापस स्थानांतरित होने की मांग कर रहा है।
3. वर्तमान याचिका में यह प्रार्थना की गई है कि उस अभ्यावेदन का निस्तारण किया जाए, जिसे रिट याचिकाकर्ता प्रस्तुत करेगा।
4. विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि, यदि रिट याचिकाकर्ता ने स्थानांतरित स्थान पर कार्यभार ग्रहण कर लिया है, तो वह स्थानांतरण आदेश को रद्द कराने हेतु सक्षम प्राधिकारी से संपर्क कर सकता है।
5. दोनों पक्षों के तर्कों पर विचार करते हुए, इस रिट याचिका का निस्तारण इस निर्देश के साथ किया जाता है कि रिट याचिकाकर्ता को अमरोहा वापस स्थानांतरित किए जाने हेतु सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी। यह अभ्यावेदन तभी विचारणीय और स्वीकार्य होगा, जब रिट याचिकाकर्ता ने स्थानांतरित स्थान पर कार्यभार ग्रहण कर लिया हो।

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

29 जनवरी, 2026

राजेश

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”